संख्या- 3/2023 /बी-3-495 /दस-2023-100(4)/2002 ब.मै.

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 14 जून, 2023

विषयः- आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से स्वीकृति।

महोदय,

विभागीय अनुदानों में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै. दिनांक 10.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यो की वार्षिक योजना वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल तक सक्षम स्तर के अनुमोदन से अंतिम कर ली जाय।

अग्रतर यह व्यवस्था की गयी है कि उपरोक्तानुसार अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या -2/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4)/2002-ब.मै. दिनांक 21.11.2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रदान की जाएगी।

2- राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि अनुमोदित कार्ययोजना में सक्षम स्तर से अनुमोदित कतिपय कार्यों की स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गत नही हो पाती हैं । ऐसे प्रकरण भी संज्ञान में आये हैं जिनमे स्वीकृति निर्गत हो जाने के उपरांत भी धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं हो पाता और धनराशि लैप्स हो जाती है ।

उपरोक्त प्रकरणों में प्रशासकीय विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना में ऐसे कार्यों को सम्मिलित करते हुए पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिसमें विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है।

3- अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(।) गत वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित ऐसे कार्य जिनकी स्वीकृतियां जारी नही हो सकी अथवा जिनके लिये स्वीकृत धनराशि का आहरण न हो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पाने के कारण धनराशि लैप्स हो गयी और यदि प्रशासकीय विभाग इन कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष में कराया जाना आवश्यक समझते हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारम्भ किये जाने हेतु पुनः कार्ययोजना में अनुमोदित कराये जाने की आवश्यकता नही होगी। प्रशासकीय विभाग उक्त कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से, शासनादेश दिनांक 21.11.2017 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर, निर्गत कर सकेंगे।

(।।) प्रशासकीय विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को प्रस्तावित करते समय स्पष्ट रूप से यह अंकित किया जायेगा कि कौन-कौन से कार्य (उनकी लागत सहित) गत वित्तीय वर्ष की अनुमोदित कार्ययोजना से अग्रणीत किये गये हैं तथा कौन से कार्य चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

(।।।) उपरोक्तानुसार अग्रणीत किये गये तथा नये प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत को चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना की लागत माना जायेगा।

(IV) कार्य योजना में सम्मिलित नए कार्यों की कुल लागत**,** बजट में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था में से नए कार्यों हेतु मात्राकृत धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(V) संबंधित प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि चालू कार्यों तथा नए कार्यों के लिए एक मुश्त प्रावधान पृथक-पृथक कराये जाएँ ताकि चालू कार्यों के लिए समुचित बजट व्यवस्था उपलब्ध रहे और उन्हें निर्धारित समय के अंदर पूर्ण किया जाये ।

4- शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब0मै0 दिनांक 10.03.2021 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2023/बी-3- 495 /दस-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
3- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in